राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 176 मार्च 2014

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च एक ऐसा अवसर है जो विश्व भर में महिला समूहों द्वारा मनाया जाता है। सभी महाद्वीपों की महिलाएं जो अमूमन राष्ट्रीय सीमाओं और जातीय, भाषायी, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विभिन्नताओं में बंटी होती हैं, इस अवसर को एकता के रूप में मनाती हैं। वे अतीत में उस परम्परा को देखती हैं जो बराबरी, न्याय, शान्ति और विकास के लिए दशकों के संघर्ष को दर्शाती है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक साधारण महिला की इतिहास का निर्माण करने की कहानी है। यह समाज में पुरुषों के साथ बराबरी के आधार पर भाग लेने की सदी पुरानी संघर्ष के साथ जुड़ी है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विचार सबसे पहले 19वीं सदी के अंत में आया जो औद्योगिक विश्व में विस्तार और उथल-पुथल, जनसंख्या में वृद्धि और प्रगतिशील विचारधारा के उदय का समय था।

उन प्रारंभिक वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ने समान रूप से विकसित और विकासशील देशों में एक नया आयाम अपना लिया। बढ़ते हुए इस अंतर्राष्ट्रीय महिला आंदोलन ने, जिसे विश्व के संयुक्त राष्ट्र महिला कांफ्रेंस से बल मिला है, इस स्मृति दिवस को महिलाओं के अधिकारों और राजनीतिक एवं आर्थिक प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए मांग करने हेतु समन्वित प्रयासों के लिए एक सामूहिक केन्द्र बनाने में सहायता की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक ऐसा समय है जब हम अब तक हुई प्रगति पर विचार करते हैं, परिवर्तन की मांग करते हैं और उन साधारण महिलाओं की हिम्मत और दृढ़ निश्चय के कार्यों को याद करते हैं जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के इतिहास में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है।

चर्चा में — अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

इस प्रकार जब एक बार महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा में महिला-पुरुष की बराबरी रखने के लिए लड़ाई लड़ी, महिला-पुरुष बराबरी अब उस एजेंडा को बनाने वाली एक मुख्य कारक बन गई है।

अनेक देशों में महिला के आधार पर भेदभाव के बिना मानव अधिकारों का उपभोग करने की गारंटी देने वाले उपबंधों को संविधान में शामिल किया गया है अथवा विधायी सुधारों में शामिल किया गया है, भेदभाव पूर्ण कानूनी उपबंधों को समाप्त कर दिया गया है और महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए कानूनी जानकारी और अन्य उपाय आरम्भ किए गए हैं।

फिर भी, अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। स्वतंत्रता के 66 वर्षों से अधिक समय के बाद भी, अनेक कानूनों के होने के बावजूद भारत में महिलाएं अपने आपको जंजीरों से बंधा पाती हैं, महिलाओं की निर्धनता विशेषकर परिवारों के प्रमुखों की बढ़ रही है। बेरोजगारों में महिलाओं की संख्या बहुत बढ़ गई है। उन्हें बाल विवाह, घरेलू हिंसा, दहेज की मांग, भ्रूण हत्या, बलात्कार और स्वास्थ्य सेवा के अपर्याप्त प्रावधानों से जूझना पड़ रहा है।

इस प्रकार, महिलाओं की दशा सुधारने के लिए हमें बालिकाओं को स्कूल भेजना होगा और उन्हें केवल शिक्षित करने के बजाए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी होगी। हमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को महिलाओं की पहुंच के दायरे में लाना होगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सैकड़ों महिलाएं डॉक्टरी सहायता के न मिलने पर बच्चे के जन्म के दौरान हर वर्ष न मरें और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि सम्पत्ति कानूनों में सुधार करना होगा ताकि महिला बराबरी एक वास्तविकता बन सके। जबकि ये परिवर्तन आवश्यक है परन्तु ये कारगर नहीं होंगे यदि हम एक समाज के रूप में अपनी महिलाओं को गरिमा, स्वतंत्रता और अवसरों से, जिनकी वे हकदार हैं, वंचित रखेंगे। जब महिलाएं तरक्की करती हैं तब सारे समाज को लाभ मिलता है और आने वाली पीढ़ियां एक बेहतर जीवन की शुरुआत कर सकती हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की गई जांच

❖ सदस्या शर्मीना शफीक जांच समिति की अध्यक्षा के तौर पर सुश्री जाकिया सोमन और सुश्री योगिता भयाना के साथ एक तलाकशुदा महिला की कथित प्रताड़ना और दैहिक शोषण की शिकायत की जांच करने के लिए राजस्थान में बूंदी गई। ❖ सदस्या हेमलता खेरिया अध्यक्षा के तौर पर सुश्री प्रिया ठाकुर के साथ "पंचायत में महिला को निर्वस्त्र किया गया" शीर्षक से प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट की जांच करने के लिए मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ गई। ❖ उन्होंने एक जांच समिति जिसमें सुश्री प्रिया ठाकुर शामिल थीं, के अध्यक्षा के तौर पर एक रिपोर्ट की जांच की जिसमें कहा गया कि किटोरा गांव, डबड़ा जिला, मध्य प्रदेश में महिलाओं को अंधविश्वास के कारण छत पर नहीं जाने दिया जाता है।

साहस की मिसाल

अमरीका की प्रथम महिला मिशेल ओबामा ने एसिड हमले की शिकार भारतीय लक्ष्मी का भारत में महिलाओं पर एसिड के हमले के विरुद्ध सफलतापूर्वक अभियान चलाने के लिए "अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार" जीतने के बाद अभिनंदन किया। उसने अमरीकियों को अपने भाषण, जोश और हिम्मत से प्रभावित किया। श्रीमती ओबामा और अमरीका के स्टेट डिपार्टमेंट ऑडिटोरियम में बड़ी संख्या में लोग उस समय भावविभोर हो गए जब लक्ष्मी ने अपना अनुभव एक कविता में सुनाया :

"आपने मेरे दिल पर एसिड नहीं फेंका है आपने मेरे सपनों पर फेंका है
आपके दिल में प्रेम नहीं था, उसमें एसिड था।"
उसके हमलावर ने उसके चेहरे पर तब एसिड फेंका था जब उसने उसके प्रेम अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया था।

अध्यक्षा का पृष्ठ

अध्यक्षा डॉक्यूमेंटरी फिल्मों को दिखाए जाने के दौरान जनसमूह के समक्ष भाषण देती हुई।

● अध्यक्षा ममता शर्मा मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ मीडिया स्टडीज द्वारा आयोजित एक दिवसीय 'महिला मुद्दों पर डॉक्यूमेंटरी फिल्म समारोह' में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुई।

● अध्यक्षा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जंतर-मंतर पर एक जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित हुई। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध तभी रूकेंगे जब समाज महिलाओं को वस्तु के रूप में देखना बंद कर दे। पुलिस अथवा सरकार के पास महिलाओं के विरुद्ध सभी तरह के अत्याचार रोकने के लिए जादू की छड़ी नहीं है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने के लिए समाज की मनोवृत्ति में परिवर्तन होना चाहिए।

● मानवाधिकार मिशन, सिवलासा द्वारा नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें अध्यक्षा मुख्य अतिथि थी। बाद में, उन्होंने इस अवसर पर एक पुस्तक "जानिए महिला अपने अधिकार" का विमोचन किया।

● राजस्थानी अकादमी ने नई दिल्ली में इंडिया हेबीटेट सेंटर में 23वां कवियित्री सम्मेलन आयोजित किया और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रतिभाशाली महिलाओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ने अकादमी द्वारा दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में राजस्थानी संस्कृति, नृत्य, कला और साहित्य के प्रसार के लिए किए जाने वाले कार्य की प्रशंसा की। विभिन्न क्षेत्रों जैसे न्यायपालिका, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास आदि के क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं को उनके अपने-अपने क्षेत्रों में किए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

राष्ट्रीय विचार-विमर्श

राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के मानवीय अधिकारों का हनन करके और उन्हें सार्वजनिक तौर पर कलंकित करके उनके विरुद्ध की जाने वाली हिंसा को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ड्राफ्ट मॉडल केन्द्रीय कानून को अंतिम रूप देने के लिए जयपुर, राजस्थान में "महिलाओं के मानवीय अधिकारों का हनन करके और उन्हें सार्वजनिक तौर पर कलंकित करके उनके विरुद्ध की जाने वाली हिंसा पर रोक" पर एक राष्ट्रीय विचार-विमर्श का आयोजन किया।

स्वागत भाषण देते हुए डॉ. चारु वलीखन्ना ने कहा कि महिलाओं के मानव अधिकारों का हनन करने और उन्हें कलंकित करने वाले मुद्दे को संवेदनशीलता के साथ हल करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि किसी महिला को लक्ष्य बनाना अथवा उसे परेड में घुमाना अथवा उसे निर्वस्त्र करना अथवा उसके सिर के बाल उतारना अथवा उसका मुंह काला करना किसी महिला के मानवीय अधिकारों का हनन है और उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि वह विचार-विमर्श द्वारा इस समस्या का भावी समाधान खोज रही हैं।

सेमिनार का उद्घाटन करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, श्रीमती मारग्रेट आल्वा ने कहा कि यह मुद्दा महिलाओं को डायन बताकर उनके विरुद्ध अत्याचार करने तक ही सीमित नहीं है अपितु इससे संबंधित दूसरी बातें भी हैं। महिलाओं की संपत्ति हथियाने के लिए न केवल उन्हें मानव अधिकारों से वंचित किया जाता है बल्कि उन्हें अपमानित करने के लिए उन्हें पागल कहा जाता है अथवा उन्हें किसी प्रेतात्मा का कुपित बताया जाता है। यद्यपि प्रत्येक राज्य में ऐसे अत्याचारों के विरुद्ध कानून बने हुए हैं, फिर भी उनको उचित ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जाता है।

इस अवसर पर बोलते हुए श्रीमती ममता शर्मा ने कहा कि संभावित समाधान ढूंढने और इसकी राष्ट्रीय सर्वसम्मति प्राप्त करने के लिए विभिन्न राज्यों में आयोजित सेमिनार में इस मुद्दे पर चर्चा की गई। उन्होंने इस मुद्दे पर एक पृथक कानून बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इन अपराधों के पीड़ितों का पुनर्वास करने और उन्हें मुआवजा देने पर जोर दिया और महिलाओं को डायन बताने वाले सीरियलों और फिल्मों का विरोध किया।

सदस्या हेमलता खेरिया ने कहा कि ऐसे अत्याचारों को रोकने के लिए कठोर कानून होने चाहिए और इस मुद्दे पर लोगों को जागरूक करने और शिक्षित करने पर जोर दिया जाना चाहिए।

इस अंतिम सत्र को समाप्त करते हुए सदस्या निर्मला सामंत प्रभावलकर ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद की गई सिफारिशों का उल्लेख किया (1) इस मुद्दे पर एक विशेष केन्द्रीय कानून होना चाहिए। (2) कानून बनने के बाद उसको प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। (3) प्रारूप विधेयक की पुनरीक्षा की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय विचार-विमर्श के दौरान अध्यक्षा ममता शर्मा और श्रीमती मारग्रेट आल्वा

राष्ट्रीय महिला आयोग का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाना

राष्ट्रीय महिला आयोग ने 25 सर्वश्रेष्ठ महिलाओं को अपने-अपने क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों के लिए सम्मानित करके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। डॉ. नन्दिता चटर्जी, सदस्या सचिव ने अध्यक्षा ममता शर्मा की उपस्थिति में नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में विशिष्ट महिलाओं को पुरस्कार दिए।

श्रीमती ममता शर्मा दीप प्रज्वलित करती हुई। आयोग की सदस्याएं देख रही हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य महिला आयोगों के सहयोग से उनके अपने-अपने राज्यों में "सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करना", "हमारा पुरुष प्रधान समाज : मानसिकता को बदलना" विषयों पर आयोजित निबंध लेखन प्रतिस्पर्धा में सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों के लिए तीन कॉलेज विद्यार्थियों को पुरस्कार भी दिए। प्रथम पुरस्कार उत्तराखंड से सुश्री रीना मैथानी को, दूसरा पुरस्कार मध्य प्रदेश से सुश्री प्रियंका बर्से को दिया गया जबकि तीसरा पुरस्कार राजस्थान से सुश्री जया जैन को मिला।

कार्यक्रम के दौरान महिला सशक्तिकरण पर एक स्किट का मंचन हुआ जिसमें जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ते महिला सशक्तिकरण को दर्शाया गया। देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में आए प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज़ की। इस अवसर पर आयोग की सभी सदस्याएं उपस्थित थीं।

श्रीमती ममता शर्मा एक पुरस्कार विजेता को सर्टिफिकेट देती हुई। सदस्या सचिव डॉ. नंदिता चटर्जी देख रही हैं।

अध्यक्षा, आयोग की सदस्याएं पुरस्कार विजेताओं के साथ।

सदस्यों के दौरे

❖ सदस्या हेमलता खेरिया मुम्बई में "मीडिया में महिलाओं का चित्रण" पर एक राष्ट्रीय विचार-विमर्श में उपस्थित हुई। ● वह जयपुर में महिलाओं के मानवीय अधिकारों का हनन करके और उन्हें "सार्वजनिक रूप से कलंकित करके उन पर अत्याचार करने पर रोक" पर राष्ट्रीय विचार-विमर्श में उपस्थित हुई। ● सदस्या खेरिया मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ गई जहां एक तांत्रिक के कहने पर एक वृद्ध महिला को चोर बताया गया था और उसको निर्वस्त्र होने को मजबूर किया गया। सदस्या ने जिलाधीश से मुलाकात की और बाद में अधिकारियों को इस मामले में उचित कार्यवाही करने का निदेश दिया। ● वह मध्य प्रदेश में छतरपुर के जिला जेल गई और जेल के पुलिस अधीक्षक, अधिकारियों और महिला कैदियों के साथ बैठक की। महिला कैदियों ने कहा कि वहां कोई कानूनी सहायता व्यवस्था, परामर्श सुविधा अथवा महिलाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध नहीं है और न ही उनके बच्चों के लिए क्रेच की सुविधाएं हैं। ● वह मध्य प्रदेश के डबरा गांव में एक जांच कार्य के लिए गई। लगभग 2000 लोगों से बसे इस गांव

सदस्या हेमलता खेरिया टीकमगढ़ में जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक और पंचायत अधिकारियों से चर्चा करती हुई

में लगभग 800 मोंगिया जनजाति के लोग रहते हैं जो अंधविश्वास के शिकार हैं। महिलाओं को घर के ऊपर चढ़ने की अथवा घर की छत पर जाने की मनाही है जिससे देवी देवता नाराज हो सकते हैं और अपना क्रोध बरपा सकते हैं। उन्होंने देखा कि गांव में पेयजल, शिक्षा, सफाई आदि की मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं।

सदस्या प्रभावलकर "मीडिया में महिलाओं का चित्रण" पर होने वाले विचार-विमर्श को संबोधित करती हुई

❖ राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या एडवोकेट निर्मला सामंत प्रभावलकर मुम्बई में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित "मीडिया में महिलाओं का चित्रण" पर राष्ट्रीय विचार-विमर्श में उपस्थित हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ममता शर्मा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी और तीन अन्य मंत्री भी इस विचार-विमर्श में उपस्थित हुए। पूर्ण सत्र में विषय "फिल्म और टेलीविजन में महिलाओं का चित्रण" था और दूसरा सत्र "विज्ञापन में महिलाओं का चित्रण" था, तीसरे सत्र का विषय "महिला, मीडिया, हिंसा और समाज में इसका प्रभाव" था। अंतिम सत्र में "आगे की कार्यवाही - सेंसरशिप अथवा स्वयं विनियमन" पर चर्चा हुई जिसकी अध्यक्षता श्री उज्जवल उके, मुख्य सचिव, डब्लू.सी.डी., महाराष्ट्र सरकार ने की। ● सदस्या एक सेमिनार में उपस्थित होने के लिए जयपुर गई और "महिलाओं के अधिकारों का हनन करके और सार्वजनिक रूप से उन्हें कलंकित करके उनके विरुद्ध होने वाले अत्याचारों पर रोक" पर राष्ट्रीय कानून के लिए सत्र की अध्यक्षता की। ● सदस्या ने वर्ली कोलीवारा, मुम्बई में महिला मछुआरिन कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। ● सदस्या प्रभावलकर जिला विधिक सहायता प्राधिकार सेवा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में और मुम्बई उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित "नागरिक का मौलिक कर्त्तव्य - महिलाओं की गरिमा की रक्षा और आदर" पर एक दिवसीय इंटर-कॉलेज सेमिनार में उपस्थित हुई। ● वह न्यूक्लियर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए आयोजित समारोह में भी मुख्य अतिथि थी। ● सदस्या राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग के कार्यालय में आयोजित सुनवाई में उपस्थित हुई।

सदस्या शमीना शफीक श्रोताओं को संबोधित करती हुई

❖ सदस्या शमीना शफीक नई दिल्ली में "महिला संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए नए दृष्टिकोण" पर एक कार्यशाला में उपस्थित हुई। ● सदस्या जन अधिकार के लिए राष्ट्रीय मंच, जो मानव अधिकारों की रक्षा, संवर्धन, निर्बल वर्गों के आर्थिक उत्थान, शान्ति, सौहार्द और राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कार्य कर रही है, द्वारा "महिलाओं और बच्चों का सशक्तिकरण" पर आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला में उपस्थित होने के लिए कोच्चि गई। ● सदस्या मानव अधिकार संवर्धन संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश के हापुड़ में "महिलाओं की दशा और दिशा" पर आयोजित एक समारोह में मुख्य अतिथि थी। ● उन्होंने ह्यूमन पॉवर कनेक्ट और सी.ए. आर.ई. द्वारा नई दिल्ली में आयोजित "महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के संदर्भ में महिला सशक्तिकरण" पर प्रमुख भाषण दिया। ● सदस्या नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में "युवा और शासन" पर एक सेमिनार में उपस्थित हुई। ● श्रीमती शफीक मैत्री द्वारा "अनेक आवाजें, एक आंदोलन - भारत में यौन हिंसा को समाप्त करना" पर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित हुई। उन्होंने "नियंत्रण प्राप्त करना और न्याय पाना - परिणाम : पुलिस और अस्पतालों के साथ संवाद" पर सत्र में भाग लिया।

डॉ. चारु वलीखन्ना सरकारी स्कीमों पर राष्ट्रीय विचार-विमर्श के प्रतिनिधियों के साथ।

❖ डॉ. चारु वलीखन्ना ने राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कोलकाता में सरकारी स्कीमों *उज्ज्वला* और *सबला* पर स्कीमों के प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाले अवरोधों पर विचार करने के लिए आयोजित राष्ट्रीय विचार-विमर्श में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने तकनीकी सत्र की भी अध्यक्षता की। ● डॉ. चारु वलीखन्ना ने "मानव अधिकारों का हनन करके और सार्वजनिक रूप में महिलाओं को कलंकित करके उनके विरुद्ध होने वाले अत्याचारों को रोकना" पर जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय विचार-विमर्श में भाग लिया। ● वह नई दिल्ली में दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन और ग्रेटर कैलाश-II, आर.डब्लू.ए. द्वारा आयोजित बृहत कवि सम्मेलन में भी सम्मानित अतिथि थी।

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट : www.new.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।